बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

राज्य अंतर्गत दलहन एवं तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मसूर के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य में मसूर की अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों का संचालन आवश्यक है।

2. रबी विपणन मौसम, 2026–27 अंतर्गत मसूर की अधिप्राप्ति के लिए राज्य स्तरीय सपोर्टर के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल को नामित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिए केन्द्रीय अभिकरण के रूप में नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 को नामित किया गया है।

3. राज्य स्तरीय सर्पोटर के रूप में सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मसूर की अधिप्राप्ति के लिए राज्य के सभी जिलों में क्रय केन्द्रों की स्थापना कर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत/निबंधित राज्य के किसानों से मसूर की अधिप्राप्ति की जाएगी तथा अधिप्राप्ति से प्राप्त मसूर को भारत सरकार द्वारा नामित केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा स्थापित/चिन्हित CWC/SWC गोदामों में नेफेड/एन0सी0सी0एफ0 के गुणवत्ता नियंत्रकों के स्तर से गुणवत्ता एवं अधिप्राप्ति की मात्रा हेतु निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर जमा किया जाएगा।

4. रबी विपणन मौसम , 2026–27 में मसूर की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग के अधिकृत पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा।

5. रबी विपणन मौसम , 2026–27 में राज्य के किसानों से मसूर की अधिप्राप्ति के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 6-2/2025-MSP-ES दिनांक 08.10.2025 के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत है :–

1	**मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य**	**7000/–रूपया प्रति क्वीं0**

6. रबी विपणन मौसम, 2026–27 में मसूर अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 10.04.2026 से प्रारंभ होगा एवं दिनांक 31.05.2026 तक प्रभावी रहेगा तथा नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा स्थापित/चिन्हित CWC/SWC गोदामों में राज्य स्तरीय सपोर्टर पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्ति के उपरांत मसूर की मात्रा को दिनांक 10.04.2026 से 07.06.2026 तक उपलब्ध कराया जा सकेगा।

7. यह अधिसूचना मसूर अधिप्राप्ति रबी विपणन मौसम, 2026–26 अंतर्गत दिनांक 10.04.2026 से 31.05.2026 तक के लिए प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/3/26

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

Desktop: section 10 dalhan adhiprapti/ Dal Karya yojana

ज्ञापांक प्र010 दलहन–तेलहन अधि0–03 / 2026 1526 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना –7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाषित कराते हुए गजट की 100 प्रतियाँ शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक – दो हार्ड प्रति एवं एक सी0डी0।

30/3/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन–तेलहन अधि0–03 / 2026 1526 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपि – सरकार के सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन–तेलहन अधि0–03 / 2026 1526 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन–तेलहन अधि0–03 / 2026 1526 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन–तेलहन अधि0–03 / 2026 1526 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26

सरकार के सचिव।

Desktop: section 10 dalhan adhiprapti/ Dal Karya yojana